हुक्म की जानकारी में जारी हुए
न्याय आपके द्वार 2018

3.12.2018 पत्रावली समक्ष लोक अदालत के लिए रखे
सैयाम जरेम हुई पत्रावली एवं पत्रावली
पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया
गया। रिसीवर प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित
मूल वाद का अवलोकन किया गया। इसी
वादग्रस्त भूमि के सम्बन्धित प्रार्थना पत्र
अस्थाई निषेधाज्ञा का भी अवलोकन किया
गया, जिसमें प्रार्थी भगवान सहाय के
पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी
की हुई है तथा T.I. पत्रावली जब्त में लम्बित है तथा
वाद पत्र वादी के स्थगन पर विचाराधीन है।
वादग्रस्त भूमि के रिसीवर में लिये जाने की रिपोर्ट
सम्बन्धित थानाधिकारी एवं तहसीलदार
की नहीं है। ऐसी स्थिति में ग्राम सैंयाम
स्थित वादग्रस्त भूमि ब.नं. 1265/2352 रकबा 0.11 है.
भूमि का रिसीवर नियुक्त करने का कोई औचित्य
नहीं होने से प्रार्थी का रिसीवर प्रार्थना पत्र
खारिज किया जाता है। निर्णय कैम्प बोर्ड
अदालत सेवा केन्द्र सैंयाम के समक्ष आम
में लिखवाया जाकर सुनाया गया। प्रकरण
कैम्प हेतु सूचीबद्ध क्रमांक 2 से कम है
तथा वाद तकमील प्रविष्ठ लेख मय है
एवं मूल वाद के संलग्न है।

6/12/18
सहायक कलक्टर
सीकर

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट सीकर